



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना से जुड़कर आमदनी बढ़ाएं

कृषि वानिकी-अन्य प्रजाति योजना में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

- वन प्रमंडल का नाम :-
- जिला का नाम :-
- वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :-
- प्रखंड का नाम :-
- आवेदक का नाम :-
- पिता/पति का नाम :-
- पेशा :-
- जन्म तिथि :-
- स्थायी पता :-
- वर्तमान पत्राचार का पता :-
- दूरभाष/मोबाईल नं०) 11. ई-मेल (यदि हो) :-
- भूमि का विवरण :-

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- प्रस्तावित वृक्षारोपण (कृपया / करें)
(क) फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)
(ख) कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)
15 इच्छित प्रजाति का नाम लिखें।

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या

- बैंक खाता विवरणी :-

बैंक खाता नं०	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C कोड

- घोषणा :- मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी। पौधों का सुरक्षित मूल्य देने के लिए मैं सहमत हूँ।

संलग्न अभिलेख की विवरणी

-
-
-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
(तिथि के साथ)

आवेदन करने की अंतिम तिथि

30.06.2020

मात्र 10रु० प्रति पौधे की सुरक्षित राशि तीन वर्षों के लिए देकर पौधे प्राप्त करें।
तीन वर्ष बाद सुरक्षित जमा राशि 10 रु० वापस कर दी जायेगी।

तीन वर्ष बाद सरकार द्वारा 60 रु० प्रति पौधे अलग से दिए जायेंगे।

कृषकों से अनुरोध है कि,

⇒ योजना अन्तर्गत सुरक्षित राशि रु० 10/- प्रति पौधा भुगतान करने हेतु संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर निम्न माध्यमों से राशि का भुगतान करें।

1. सुरक्षित राशि Fixed Deposit या NSC जिसकी वैधता 30 जून 2023 तक हो के माध्यम से संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पदनाम से उपलब्ध करायी जा सकती है।

या

2. नगद राशि भी जमा की जा सकती है।

जो कृषक पूर्व से आवेदन कर चुके हैं वो,

पौधारोपण से पूर्व किये जाने वाले कार्यकलाप जैसे :- गड्ढा खोदना इत्यादि का कार्य पूर्ण कर संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित राशि का भुगतान कर पौधे प्राप्त कर सकते हैं।

⇒ संलग्न आवेदन भरकर भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन लगान रसीद/लीज डीड की छायाप्रति के साथ,

hariyalimission@gmail.com पर ई०मेल करें।

या

स्थानीय वन प्रमण्डल या वन प्रक्षेत्र कार्यालय में

या

Whatsapp No. 7903162319 पर आवेदन समर्पित करें।